।।श्री।।

सहमति पत्र

यह सहमति पत्र आज **दिनांक–.....** को जयपुर शहर में दो साक्षीगणों के समक्ष .... के हैं जिन्हें इस इकरारनामा में शब्द प्रथम पक्ष मालिक के नाम से जाना जायेगा।

ब ह क

मैसर्स यशस्वी प्राकृतिक फार्म प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री अमित गुप्ता आयु 41 वर्ष, जाति वैश्य पता 745 ए.आर.जी नोर्थ ऐवेन्यू, सीकर रोड़, वि.के.आई.ए, जयपुर, राजस्थान के है जिन्हे इस **सहमति पत्र** में क्रेता **''द्वितीयपक्ष'' संरक्षक** कहलायेगा।

यह कि सहमति पत्र जयपुर शहर में हम दोनों पक्षों **मालिक एवं संरक्षक** के बीच निम्न शर्तो पर निष्पादित हुआ है।

1. यह कि द्वितीयपक्ष की फर्म **मैसर्स यशस्वी प्राकृतिक फार्म प्रा. लि. स्थायी पता राधाकिशनपुरा, वाया जाहोता, जालसू उपखंण्ड, तहसील आमेर, जिला जयपुर** में स्थित है।
2. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा एक ''गिर'' गाय गोद लेने के बाबत् राशि **...../–अक्षरे .... रूपये** द्वितीय पक्ष को नगद/ऑनलाईन ट्रांसफर/चैक द्वारा दे दिया है जिसके एवज में प्रथमपक्ष **5 वर्ष** तक प्रतिदिन 2/– लीटर दूध का उपयोग कर सकता है।
3. यह कि उक्त गाय के वंश वृद्धि के प्रथमपक्ष का कोई अधिकार नहीं होगा।
4. यह कि सभी बछड़े व बछड़ों पर द्वितीयपक्ष का अधिकार होगा वह उसे सभी प्रकार के कार्यो के लिए उपयोग में ले सकेगा।

5. दूध कि डिलिवरी बताए गए पते पर ही होनी है जो कि पताः– **जयपुर नगर निगम कि परिधि** के अन्तर्गत होनी है।
6. यदि प्रथमपक्ष जयपुर से विस्थापित होता है तो वह अपनी सदस्यता अपने सम्बन्धी रिश्तेदार, मित्र को हस्तान्तरण कर सकता है।
7. यह कि द्वितीयपक्ष समय–समय पर दूध की गुणवक्ता की जाँच करवाता रहेगा व सभी सदस्यों को प्रस्तुत करता रहेगा।
8. यह कि दूध की गुणवक्ता की पूर्णतया जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष कि होगी एवं शुद्ध ताजा सुबह 8 बजे तक सप्लाई कर दिया जायेगा अपवाद स्वरूप बारिश, आँधी तुफान या प्राकृति आपदा के समय लेट हो सकता है।
9. यह कि आवश्यकता होने पर प्रथमपक्ष अपनी ''गिर'' गाय को दिनांक–..... से चार वर्ष के अन्दर द्वितीयपक्ष से वापस ले सकेगा तथा **चार वर्ष की मियाद** पूर्ण होने के बाद प्रथमपक्ष उक्त गाय को द्वितीयपक्ष से वापस नही ले सकेगा लेकिन द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को प्रतिदिन **2/– लीटर दूध लगातार 5 वर्षो तक दिया जायेगा।**
10. यह कि गाय की देखभाल, भरण–पोषण द्वितीयपक्ष द्वारा की जायेगी जिसका खर्चा द्वितीयपक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
11. यह कि द्वितीयपक्ष उक्त गाय से प्राप्त दूध को अपने उपयोग, उपभोग में लेगा या दूध, दूध का पनीर, मक्खन, घी, दही, छाछ को द्वितीयपक्ष विक्रय करेगा, उपयोग उपभोग में लेगा जिसमे प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं होगा।
12. यह कि प्रथमपक्ष गाय का निरिक्षण, देखरेख करने के लिये सम्बन्धित गौशाला में जा सकेगा जिसमें द्वितीयपक्ष को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं होगा।
13. यह कि अगर 5 वर्ष के अन्दर उक्त गाय को कुछ हो जाता है तो भी द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को **प्रतिदिन 2/– लीटर दूध लगातार 5 वर्षो** तक दिया जायेगा।

14. यह कि 4 वर्ष से पूर्व अगर आंवटित गाय की मृत्यु हो जाती है तो द्वितीयपक्ष उसी समय दुसरी गाय आंवटित कर देगा उसकी सूचना प्रथमपक्ष को दे देगा तथा 4 वर्ष के पूर्व अगर मृत्यु हो जाती है तो भी प्रथमपक्ष को 2/–लीटर दुध ईकरारनामें की दिनांक से लगातार 5 वर्ष तक प्राप्त करता रहेगा।
15. यह कि असल सहमति पत्र प्रथमपक्ष के पास रहेगा एवं सहमति पत्र की फोटो प्रति द्वितीयपक्ष के पास रहेगी।
16. यह कि ईकरारनामें से 4 वर्ष से पूर्व अगर प्रथमपक्ष उक्त ईकरारनामा निरस्त करना चाहे तो प्रथमपक्ष को उसकी गाय द्वितीयपक्ष द्वारा संभला दी जायेगी तथा 4 वर्ष के पश्चात् प्रथमपक्ष को ईकरारनामा निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा प्रथमपक्ष को 2/–लीटर दुध ईकरारनामें की दिनांक से लगातार 5 वर्ष तक प्राप्त करता रहेगा।
17. यह कि अगर द्वितीयपक्ष को किसी अनहोनी के कारण व्यवसाय बन्द करना पड़ता है तो द्वितीयपक्ष पहले 4 वर्ष में प्रथमपक्ष को आवंटित गाय संभला देगा एवं 4 से 5 वर्ष राशि 7,500/–रूपये देकर सौदा निरस्त कर देगा।
18. यह कि गाय के गौमुत्र एवं गोबर पर द्वितीयपक्ष का हक होगा।
19. यह कि समय–समय पर गाय की जांच डॉक्टरों द्वारा द्वितीयपक्ष करवायेगा एवं वंश वृद्धि करवाने में भी प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं होगा।
20. यह कि ईकरारनामें की किसी भी शर्ते का उल्लंघन होता है तो न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
21. यह कि हम दोनों पक्षों ने दो गवाहान के समक्ष उक्त इकरारनामा अच्छी तरह से पढकर समझकर अपने–अपने हस्ताक्षर इस सहमति पत्र पर दिये है कि जिसके लिये हम दोनों ही पक्षकारान एवं हमारे वारिसान पूर्णतया पाबन्द रहेंगे।

लिहाजा यह सहमति पत्र हमने अपनी राजी खुशी बदुरूस्ती होश हवास बिना किसी नाजायज दबाव के स्टाम्प कीमती **100/– रूपये का एक किता स्टाम्प पेपर व तीन पाई पेपरों** पर तहरीर कर दिया है कि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। तहरीर **दिनांक–..... ईस्वी।**

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष मालिक **हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष संरक्षक**

गवाह 1 **गवाह 2**